लिंग (महिला या पुरुष होने पर) आधारित हिंसा से संबंधित प्रमुख शब्दों को समझना

लिंग आधारित हिंसा

लिंग-आधारित हिंसा (जेंडर बेस्ड वायलेंस)) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उनके लिंग यानि महिला या पुरुष होने के आधार पर निर्देशित हानिकारक कृत्यों (कामों) के संदर्भ में है।यह लैंगिक असमानता, शक्ति के दुरुपयोग और बनाये गये हानिकारक मानदंडों पर आधारित है।

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को लिंग-आधारित हिंसा के किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं और लड़कियों को शारीरिक, यौन, या मानसिक नुकसान या पीड़ा होने की संभावना की स्थिति हो, और इसमें शामिल हैं ऐसे कृत्य या काम जैसे कि, जबरदस्ती, या मनमानी करते हुए स्वतंत्रता से वंचित रखने की धमकी शामिल है, और ये चाहे सार्वजनिक या निजी जीवन में हो। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा में उक्त सब शामिल हैं, लेकिन यह परिवार में या सामान्य समुदाय के भीतर होने वाली शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा तक ही सीमित नहीं है, जो कि राज्य द्वारा की जाती है या माफ कर दी जाती है।

हिंसा का शिकार होने पर बच जाने वाले लोग (सर्वाइवर ऑफ़ वायलेंस)

'हिंसा होने पर बच जाने वाले लोग' उनके संदर्भ में है जिन्होनें यौन या लिंग-आधारित हिंसा का अनुभव किया है। सर्वाइवर या बच जाने वाले की पारभाषा "पीड़ित" के अर्थ में समान है, लेकिन आमतौर पर सर्वाइवर इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इसके मतलब में लचीलापन है।

अनुमति ‘नहीं’ का मतलब है ‘नही’। ‘हाँ’, मतलब ‘हाँ’। प्रतिभागियों के बीच यौन गतिविधि में संलग्न होने या विवाह में प्रवेश करने के लिए सहमति एक समझौता होता है। यह स्वतंत्र रूप से और सजग रूप से दिया जाना चाहिए और यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है जो ड्रग्स या शराब के प्रभाव में है या किसी कम उम्र के व्यक्ति द्वारा।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रकार

घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा, जिसे घरेलू दुर्व्यवहार या अंतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा भी कहा जाता है। ये व्यवहार का ऐसा तरीक़ा या पैटर्न है, जिसका उपयोग अंतरंग साथी पर शक्ति और नियंत्रण हासिल करने या बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसमें सभी - शारीरिक, यौन, भावनात्मक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक क्कृत्यों या कार्यों के खतरे शामिल हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव डालते हैं। यह विश्व स्तर पर महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली हिंसा के सबसे आम रूपों में से एक है।

घरेलू हिंसा में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है आर्थिक हिंसा

आर्थिक हिंसा में वित्तीय संसाधनों पर कुल नियंत्रण बनाए रखने, पैसे तक पहुंच को रोकने, और / या शिक्षा के लिए किसी स्कूल में या फिर रोजगार में उपस्थिति को मना करके किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने से रोकने के प्रयास करना शामिल है।

मनोवैज्ञानिक हिंसा

मनोवैज्ञानिक हिंसा में धमकी से डर पैदा करना शामिल है; स्वयं, साथी या बच्चों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देना; पालतू जानवरों और संपत्ति का विनाश; "माइंड गेम्स"; या दोस्तों, परिवार, स्कूल और / या काम से अलगाव को मजबूर करना।

भावनात्मक हिंसा

भावनात्मक हिंसा में निरंतर आलोचना के माध्यम से किसी व्यक्ति के आत्म-मूल्य या आत्म-सम्मान की भावना को कम करना शामिल है; किसी की क्षमताओं को कम करना; अपमानजनक नाम से पुकारना (नेम कॉलिंग) या अन्य मौखिक दुर्व्यवहार; बच्चों के साथ साथी के रिश्ते को नुकसान पहुंचाना; या साथी को दोस्तों और परिवार को मिलने न देना।

शारीरिक हिंसा

शारीरिक हिंसा में किसी साथी को मारना, लात मारना, जलाना, पकड़ना, चुटकी लेना, धक्का देना, थप्पड़ मारना, बाल खींचना, काटना, चिकित्सा देखभाल से इंकार करना या शराब और / या नशीली दवाओं के उपयोग के लिए मजबूर करना, या अन्य शारीरिक बल का उपयोग करके चोट पहुंचाना या चोट पहुंचाने की कोशिश करना शामिल है। इसमें संपत्ति का नुकसान भी शामिल हो सकता है।

यौन हिंसा

यौन हिंसा में एक साथी को सेक्स एक्ट में भाग लेने के लिए मजबूर करना शामिल है जब साथी सहमति नहीं देता है।

महिलाओं की हत्या (फेमिसाइड)

फेमिसाइड महिलाओं की जानबूझकर की गई हत्या के संदर्भ में है क्योंकि वे महिलाएं हैं । इसके अलावा महिलाओं या लड़कियों की किसी भी प्रकार से की गई हत्या को शामिल करने के लिए अधिक व्यापक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। फेमिसाइड विशिष्ट तरीकों से पुरुष हत्या से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं की हत्या के अधिकांश

मामले भागीदारों या पूर्व-भागीदारों द्वारा किए जाते हैं, और इसमें घर में चल रहे दुर्व्यवहार, धमकी या धमकी, यौन हिंसा, या ऐसी परिस्थितियां शामिल होती हैं जहां महिलाओं के पास अपने साथी की तुलना में कम शक्ति या कम संसाधन होते हैं।

ऑनर किलिंग

(परिवार के सम्मान के लिए हत्या) ऑनर किलिंग परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर दी जाती है, आमतौर पर एक महिला या लड़की की, इस कथित कारण के लिए कि व्यक्ति ने परिवार पर अपमान या शर्म लाई है।

यौन उत्पीड़न

यौन उत्पीड़न में गैर-सहमति से शारीरिक संपर्क शामिल है, जैसे यौन तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ना, चुटकी लेना, थप्पड़ मारना या रगड़ना। इसमें गैर-शारीरिक रूप भी शामिल हैं, जैसे कि कैटकॉल, किसी व्यक्ति के शरीर या उपस्थिति के बारे में यौन टिप्पणियां, यौन संबंध की मांग, यौन विचारोत्तेजक घूरना, पीछा करना और किसी के यौन अंगों को प्रदर्शन करना।

मानव तस्करी

मानव तस्करी- बल, धोखाधड़ी, जबरदस्ती, या धोखे जैसे साधनों के माध्यम से लोगों का अधिग्रहण और शोषण है। इस जघन्य अपराध ने दुनिया भर में लाखों महिलाओं और लड़कियों को घेर लिया है, जिनमें से कईयों का यौन शोषण किया जाता है।

ऑनलाइन या डिजिटल हिंसा

महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन या डिजिटल हिंसा हिंसा के किसी भी कार्य को संदर्भित करती है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कंप्यूटर गेम, टेक्स्ट मैसेजिंग, ईमेल, आदि) का उपयोग करके एक महिला के खिलाफ की जाती है, या इन सब के ज़रिये से यौन उत्पीड़न के लिए सहायता ली जाती है, या इसमें बढ़ावा किया जाता है , सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वह एक महिला है। ऑनलाइन हिंसा में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:-

—साइबर बुलिंग

साइबरबुलिंग में डराने वाले या धमकी भरे संदेश भेजना शामिल है।

—गैर-सहमति से यौन संबंध

गैर-सहमति सेक्सटिंग (सेक्स संबंधित संदेश भेजना) में प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना स्पष्ट संदेश या तस्वीरें भेजना शामिल है।

—डॉक्सिंग

डॉक्सिंग में पीड़ित के बारे में निजी या पहचान करने वाली जानकारी को सार्वजनिक करना शामिल है। स्रोत: संयुक्त